271

10रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
20रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 पुनरीक्षण

रामभरोसे पुत्र कंधी गड़रिया

निवासी ग्राम गहबरा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर

.... अनावेदक

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक 151/स्व.प्रे.निग./2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ पुनरीक्षण न्याायलय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि, आवेदक ने वादग्रस्त भूमि सर्वे नं. 4596, 4597, 4599/2 रकवा कमंश5 1.222, 0.551, 0.251 है. भूमि ग्राम गहवरा तहसील गौरिहार में स्थित भूमि का अपने नाम व्यवस्थापन कराने हेतु तहसील न्यायालय में म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने बावत आवेदन किया था। जिस पर से तहसील

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/411 रामभरोसे विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 151/स्व.प्रे.निग./2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 25/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	